

नोट— मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे
मृत्यु की दशा में अत्यन्त एवं अनुग्रह सहायता आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक
2. मृतक का नाम
3. आवेदक का नाम
4. आवेदक का मृतक से रिश्ता
5. आवेदक का पता
6. घोषणा— मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का ध्यान देता हूँ। उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

स्थान :

दिनांक :

छात्र-छात्रा के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति की दशा में राशि रुपये चेक क्रमांक दिनांक बैंक का नाम शाखा का नाम द्वारा श्री को भुगतान किया गया।

स्थान :

दिनांक :

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पावती

राशि रुपये चेक क्रमांक दिनांक प्राप्त किए गए।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पता

दिनांक

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे। मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र की छाया प्रति की माँग नहीं की जानी चाहिए। आवेदक द्वारा दर्शाये विवरण की स्थल जाँच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए।
2. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/संजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहाँ बेहतर सुविधा मिल रही है उसका ध्यान सह कर सकेगा। किन्तु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।